झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या....03.... वर्ष 20..24....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती गुड़िया ठाकुर,
राम व जनम नगर, कदमा,
जमशेदपुर

बनाम

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि० - 09/01/2024

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–03/2024

परिवादी श्रीमती गुड़िया ठाकुर, राम जनम नगर, कदमा, जमशेदपुर का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–28.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि परिवादी 60% आग से जली हुई अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहीं हैं एवं उनके पति मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। परिवादी का आरोप है कि बिना किसी स्थानीय जांच के उनका राशन कार्ड संख्या–202007275710 को रद्द कर दिया गया। यह भी कि उनके द्वारा पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी किन्तु उसपर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई। परिवादी द्वारा अपने राशन कार्ड को पुनः चालू कराने का आग्रह किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx170

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–03/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती गुड़िया ठाकुर, राम जनम नगर, कदमा, जमशेदपुर अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुदिप्त राज, Executive Magistrate, पूर्वी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित होकर आयोग को अवगत करा रहें हैं कि शिकायतकर्ता का ग्रीन कार्ड बना दिया गया है और उन्हें ग्रीन कार्ड के तहत् प्राप्त होने वाली सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिकायतकर्ता के ग्रीन कार्ड बना दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध करा देने के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx58